महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में अब तक 486.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2022 से अब तक राज्य में 486.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 23 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1247.3 मिमी और बलरामपुर जिले में सबसे कम 169.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 175.1 मिमी, सूरजपुर में 251.6 मिमी, जशपुर में 216.5 मिमी, कोरिया में 280.2 मिमी, रायपुर में 322.9 मिमी, बलौदाबाजार में 453.4 मिमी, गरियाबंद में 560.1 मिमी, महासमुंद में 501.4 मिमी, धमतरी में 605.9 मिमी, बिलासपुर में 513.5 मिमी, मुंगेली में 535.1 मिमी, रायगढ़ में 409.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 575.4 मिमी, कोरबा में 357.5 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 500.5 मिमी, दुर्ग में 459.2 मिमी, कबीरधाम में 457.5 मिमी, राजनांदगांव में 540.2 मिमी, बालोद में 621.8 मिमी, बेमेतरा में 350.4 मिमी, बस्तर में 636.1 मिमी, कोण्डागांव में 585.7 मिमी, कांकेर में 674.1 मिमी, नारायणपुर में 496.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 643.9 मिमी और सुकमा में 472.1 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

मामूली बात पर युवक से मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। माना थाना क्षेत्र के ग्राम धरमपुरा के पास घर के सामने ट्रैक्टर खड़ी करने की बात को लेकर दो युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर माना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार धरमपुरा निवासी प्रार्थी ज्योति साहू 32 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि वह अपना ट्रैक्टर को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी आरोपी अरविन्द साहू एवं धन्नू देवांगन ने यहां पर क्यों ट्रैक्टर खड़े किए हो कहते हुए प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर माना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

महासमुंद (आरएनएस)। शादी का झांसा देकर नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को सिंघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग लडक़ी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी केअनुसार ग्राम घाटकछार निवासी 40 वर्षीय प्रार्थी ने थाने में शिकायत किया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री को भगा ले गया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस के टीम ने गुम इंसान का अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग लडक़ी को बसना थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी में देखा गया है। जिससे पुलिस के टीम ने दबिश देकर लडक़ी को बरामद किया है। वहीं लडक़ी को भगाने वाला आरोपी सेवकदास 21 वर्ष को धारा 363, 366, 376(2)(ढ) एवं 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

7 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार

सुकमा (आरएनएस)। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में ग्राम रोकेल के पास मोबाईल चेक पोस्ट में वाहनों की जांच के दौरान मोटर सायकल क्रमांक सीजी 05 एएम 7884 से 02 पैकेट मे लिपटा हुआ 07 किलो 300 ग्राम गांजा जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 70 हजार रूपये बरामद कर दोनों बाईक सवार गांजा तस्कर योगेश कुमार ध्रुव पिता विश्वरराम ध्रुव उम्र 31 वर्ष साकिन ग्राम मगरलोड मथुरानगर थाना मगरलोड जिला धमतरी एवं सूरजभान निषाद पिता स्व. नंदूराम निषाद साकिन ग्राम दानीटोला नहर नाका, थाना कोतवाली धमतरी के विरूद्ध थाना छिंदगढ़ में अप. क्र. 27/2022 धारा 20 (ख) मादक पदार्थ अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही उपरांत उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया गया।

सड़क हादसे में घायल की मौत

महासमुंद (आरएनएस)। सरायपाली थाना क्षेत्र में हुए सडक़ हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी चालक के खिलाफ 304 ए के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है। सरायपाली पुलिस के अनुसार वार्ड 12 उडिय़ापारा निवासी रजत यादव (22) बुधवार करीब 8 बजे बाइक क्रमांक ओडी 17 जी 5621 से उडिय़ापारा से अपने मामा के घर केसराराल जा रहा था। पदमपुर रोड स्थित सुमित बाजार के सामने से आ रही बाइक क्रमांक सीजी 06 जीएस 2712 के चालक ने ठोकर मार दी जिससे रजत की मौके पर ही मौत हो गई।

चिटफंड कंपनी "साई प्रकाश एंड प्रोपर्टीज डेव्लपमेंट लिमिटेड" का एक और डायरेक्टर गिरफ्तार

- चक्रधरनगर पुलिस ने विशेष न्यायालय में पेश कर ली आरोपी का न्यायिक रिमांड
- भुवनेश्वर जेल में निरुध आरोपी को पुसौर पुलिस लाई प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एएसपी लखन पटले के मार्गदर्शन पर चक्रधरनगर पुलिस चिटफंड मामले में साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आरोपी विजय रण विजय बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 54 वर्ष निवासी सेमर पाखा थाना व्योहारी जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) को आज विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश कर आरोपी का 5 अगस्त 2022 तक ज्यूडिशियल रिमांड लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड के विरुद्ध थाना पुसौर भी अपराध पंजीबद्ध है। पुसौर पुलिस द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर आरोपी रणविजय बघेल के विरुद्ध धारा 173(8) CrPC के तहत चालान चालान पेश किया जा चुका है । आरोपी रणविजय बघेल के भुवनेश्वर जेल में निरूद्ध होने की जानकारी पर एसपी रायगढ़ आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाने पुसौर प्रभारी को लाने निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गिरधारी साव के हमराह सहायक उपनिरीक्षक क्षितेश्वर गुप्ता, आरक्षक नवधा प्रसाद एवं राजेश गुप्ता भुनेश्वर जेल से आरोपी को सुरक्षित प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया जिसे चक्रधर नगर थाने में लंबित अपराध क्रमांक 112/2016 धारा 420, 467, 468, 471,409, 120 बी,34 भा.द.वि., धारा 4, 5, 6 चिटफंड अधिनियम एवं धारा 6(5)10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

थाना चक्रधरनगर में फरवरी 2016 को गोवर्धनपुर निवासी विद्यानंद उरांव द्वारा साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि कंपनी से जुड़े एजेंट घर-घर जाकर पैसा निवेश करने पर अच्छा ब्याज मिलने का प्रलोभन देकर इससे कंपनी में 4,00,000 रुपए निवेश कर आए थे। कंपनी द्वारा जमा रूपये पर मासिक ब्याज दिए जाने को प्रलोभन देकर चेक जारी किया गया था कुछ माह पश्चात कंपनी शाखा बंद कर भाग गई। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा एजेंट एवं डायरेक्ट पर अपराध क्रमांक 112/2016 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना क्रम में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जिला कार्यालय, नगर निगम रायगढ़ एवं रजिस्टर्ड ऑफिस बिलासपुर से कंपनी के संबंध में जानकारी लिया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना पता चला। तत्पश्चात चक्रधरनगर पुलिस द्वारा ग्वालियर से कंपनी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी लेने पर कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पांजली, संदीप सिंह, सहेंद्र सिंह, मृगेंद्र सिंह, धीरेंद्र कृष्ण प्रताप सिंह, रणविजय प्रताप सिंह का कम्पनी में बतौर डायरेक्टर होना पता चला और जानकारी मिली की इन लोगों ने साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एवं अन्य जगह कंपनी खोलकर ग्राहकों को कम समय में जमा रकम दुगना करने का प्रलोभन देकर पैसा एजेंटों के माध्यम से रूपये जमा करवाये गये और उसके बाद कंपनी कार्यालय बंद कर भाग गए थे। चक्रधरनगर पुलिस स्थानीय दो एजेंट के विरुद्ध चालान पेश किया गया था, डायरेक्टर फरार थे। विवेचना दरम्यान चक्रधरनगर पुलिस पिछले माह फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 46 वर्ष एवं धीरेंद्र कृष्ण प्रताप सिंह दोनों निवासी साकिन सेमर पाखा थाना व्योहारी जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। कंपनी के 64 जमाकर्ताओं से 1,14,22,925 रुपए धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी मिली है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक किरण गुप्ता के नेतृत्व में आज कंपनी के एक और डायरेक्टर/आरोपी रणविजय सिंह बघेल निवासी शहडोल मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पांच वारंटियों को पुलिस ने किया कोर्ट पेश

- पेशी पर उपस्थित नहीं होने वाले आरोपियों का जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

रायगढ़। दिनांक 23.07.2022 को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा सी.जे.एम. रायगढ़ एवं जेएमएफसी न्यायालय रायगढ़ से जारी आबकारी एवं मारपीट मामलों में पेशी पर उपस्थित नहीं होने वाले आरोपियों को उन पर जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। थाना प्रभारी कोतरारोड़ के निर्देशन पर विवेचकों की अलग-अलग टीम द्वारा 6 वारंटियों को उनके सकुनत से हिरासत में लेकर सक्षम न्यायालय पेश किया गया है। वारंट तामिली में थाना कोतरारोड़ के प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, नरेंद्र यादव, टीकाराम पटेल एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

मारपीट मामले के वारंटी-

(1) दयासागर सिदार उर्फ दादु सिदार पिता डिलेश्वर सितार उम्र 23 वर्ष निवासी नवरंगपुर थाना कोतरारोड़

(2) चंद्रभूषण सिदार पिता नंदलाल सिदार उम्र 19 वर्ष निवासी नवरंगपुर थाना कोतरारोड़

आबकारी एक्ट 36 (च) मामले के वारंटी-

(3) डोल नारायण पिता सीताराम उम्र 50 वर्ष निवासी इंदिरा आवास थाना कोतरारोड़

(4) नारायण पांडे पिता राधा पांडे उम्र 45 वर्ष निवासी किरोड़ीमल नगर थाना कोतरारोड़

(5) धीरेंद्र खटीक पिता रामचंद्र खटीक उम्र 32 वर्ष निवासी आजाद चौक थाना कोतरारोड़

(6) गौरी शंकर चौहान पिता दशरथ चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी कुलबा थाना कोतरारोड़

चक्रधरनगर पुलिस ने की लापता बालिका दस्तयाब, बालिका को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

- शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था युवक, एक सप्ताह पहले परिजन ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

रायगढ़। घर से मजदूरी करने निकली 17 वर्षीय बालिका के लापता हो जाने पर दूसरे दिन दिनांक 17.07.2022 को थाना चक्रधरनगर में स्वजन ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। चक्रधरनगर पुलिस अज्ञात के विरुद्ध अपहरण (धारा 363 IPC) का मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश में लग गई। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक किरण गुप्ता मामले की संजीदगी को देखते हुए अपने स्टाफ को लगातार बालिका के परिजनों एवं सहेलियों के संपर्क में रहकर पतासाजी करने निर्देशित की। विवेचना क्रम में जानकारी मिला कि औराभांठा, कोतरारोड़ का युवक चंद्रमणी सिदार किशोर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिस पर टीआई किरण गुप्ता द्वारा संदेही के सकुनत पर दबिश दिया गया जो फरार था, टीआई किरण गुप्ता द्वारा संदेही के गृहग्राम एवं बालिका के गांव में मुखबिर तैनात कर सूचना देने निर्देशित किया गया था। कल दिनांक 22.07.2022 को मुखबिर सूचना दिया कि बालिका को एक लड़का के साथ उसके गांव में देखा गया है जिस पर तत्काल टीआई किरण गुप्ता स्टाफ रवाना की, चक्रधरनगर पुलिस बालिका के गांव दबिश दिया गया, जहां संदेही चंद्रमणी सिदार मिला जो बालिका को उसके घर छोड़ने आया था। संदेही चंद्रमणी सिदार, अपहृत बालिका एवं बालिका के परिजनों को पुलिस टीम साथ थाने लाया गया। महिला पुलिस अधिकारी को बालिका बताई कि चंद्रमणी सिदार प्रेम करता हूं, शादी करूंगा कहता था जो दिनांक 16.07.2022 को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था और बिना सहमती के शारीरिक संबंध बनाया, उसे घर छोड़ दो कहने पर आज, कल कहकर टालता रहा और 22.07.2022 को घर छोड़ने गांव आया था। बालिका के कथन, मुलाहिजा कराकर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी चंद्रमणी सिदार पिता लक्ष्मण सिदार उम्र 25 वर्ष निवासी औराभांठा थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ में पेश किया गया है, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। सम्पूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधरनगर किरण गुप्ता, उप निरीक्षक संतरा चौहान, आरक्षक सुशील यादव की अहम भूमिका रही है।

बाइक पर गांजा लेकर आ रहा युवक को नाकेबंदी कर किया गया गिरफ्तार, आरोपी से 18 किलो गांजा व बाइक जब्त

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के कुशल मार्गदर्शन पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा लगातार दूसरे दिन अवैध गांजा तस्करी पर कार्यवाही किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ओड़िशा से होने वाले गांजा की अवैध तस्करी पर पूर्णत: रोक लगने सीमावर्ती थाने के सभी प्रभारियों को विशेष निगाह रखने के निर्देश दिया गया है। गांजा तस्करों द्वारा बारीश की आड़ में गांजा पार करने का हर प्रयास कर रहे हैं किन्तु पुलिस की चौंक-चौबंध व्यवस्था पर विफल साबित हो रहे हैं। लगातार पुलिस की टीम गांजा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है।

दिनांक 23.07.2022 को भी थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक सीताराम ध्रुव के नेतृत्व में सारंगढ़ पुलिस द्वारा गांजा रेड़ की कार्रवाई किया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना कि एक काले रंग की पल्सर में एक 20-21 वर्ष का युवक गांजा लेकर बरमकेला की ओर निकला है। सूचना से थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए सारंगढ़ के कई मार्गों में पुलिस टीम की नाकेबंदी लगाएं। इसी दौरान सुबह करीब 11:00 बजे सहायक उप निरीक्षक राजेश यादव के हमराह देशी ढाबा दनसरा के पास नाकेबंदी कर रही पुलिस टीम के हाथ काले रंग का पल्सर चालक पुलिस के गिरफ्त में आया। संदेही युवक अपने पीठ पर एक बैग और मोटरसाइकिल के पेट्रोल टंकी पर एक बैग रखा था। दोनों बैग की तलाशी पर एक 1-1 किलो के 18 पैकेट मिले जिसमें रखे पदार्थ को पुलिस एवं मौके के गवाह रगड़ कर और सूंघ कर पहचान करने पर गांजा पाया गया जिसका मौके पर ही वजन कराया गया जो 18 किलो गांजा कीमती 1,80,000 रूपये का पाया गया। आरोपी से पुलिस टीम परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर CG-11-9705 और दोनों बैग को कब्जे में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी युवक अपना नाम अर्जुन भारद्वाज पिता ताराचंद भारद्वाज उम्र 21 वर्ष ग्राम बड़ेकेर खुर्द थाना हसौद जिला जांजगीर-चांपा का रहने वाला बताया जो गांजा को उड़ीसा के बलांगीर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर ले जाना स्वीकार किया है। आरोपी से अवैध गांजा 18 Kg कीमत 1,80,000 रूपये व पल्सर बाइक CG-11-9705 कीमत 90,000 रूपये, जुमला कीमती 2,70,000 रूपये की जब्ती कर आरोपी पर थाना सारंगढ़ में धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक सीताराम ध्रुव, सहायक उप निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान आरक्षक 68 धनेश्वर उरांव, आरक्षक 923 मुकेश चंद्रा, आरक्षक 346 राजकुमार साहू, आरक्षक 1153 रामकृष्ण साहू की अहम भूमिका रही है।

चार किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ओडिसा से मोटर सायकल पर ला रहे थे गांजा

- भठली चौक पर घेराबंदी कर सरिया पुलिस की गांजा रेड कार्रवाई
- अवैध गांजा पर बैक-टू-बैक कार्रवाई में पिछले दो दिनों में 7 गांजा तस्कर भेजे गये जेल

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर गांजे की अवैध तस्करी रोकने पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले दो दिनों में डोंगरीपाली, घरघोड़ा, सारंगढ़ और सरिया क्षेत्र में गांजा के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पकड़े गये 07 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कल थाना घरघोड़ा, सारंगढ़ और देर शाम सरिया थानाक्षेत्र अंतर्गत दो गांजा तस्करों को पुलिस टीम मुखबिर सूचना पर सरिया के आगे भटली चौक सरिया पर ओडिशा से मोटर सायकल पर गांजा लेकर आते समय नाकेबंदी कर पकड़ा गया है, जिनसे 4 किलो गांजा, कीमत 20,000 रूपये का बरामद हुआ है।

जानकारी के मुताबिक सरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि तेलीपाली, ओड़िशा से दो लड़के मोटर सायकल पर गांजा लेकर सरिया की ओर निकले हैं, मुखबिर सूचना पर पुलिस स्टाफ ओड़िशा से सरिया में प्रवेश करने वाले कई स्थानों पर नाकेबंदी कर संदेहियों के आने का इंतजार किया गया। देर शाम सरिया के आगे भटली चौक पर सहायक उप निरीक्षक देवनाथ साहू के हमराह स्टाफ द्वारा नाकेबंदी पाइंट में ओड़िशा की ओर से आ रहे मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेन्डर प्लस क्र0 CG 13 G-3842 को रोका गया जिसे चेक करने पर उनके पास रखे एक प्लास्टिक बोरा में 4 प्लास्टिक पन्नी अलग अलग कलर में रखा 04 पैकेट बंधा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला जिसका वजन पर 4 किलो पाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना नाम अजय पटेल पिता स्व धरमराज पटेल उम्र 25 वर्ष एवं कमल कुमार दास पिता किर्तन दास उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी तेलीपाली अम्बाभाना जिला बारगढ़(ओडिशा) बताये जिनसे 4 Kg गांजा और गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेन्डर प्लस क्रमांक CG 13 G-3842 की जप्ती कर आरोपी अजय पटेल और कमल कुमार दास के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 20 (B) NDPS Act की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

यात्रियों को फिर होगी बड़ी परेशानी : 20 ट्रेनें हुई रद्द

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी खड़ी हो गई है।ट्रेनों के फिर से पटरी पर आने के इंतजार के बीच एसईसीआर ने एक बार फिर रेल यात्रियों को झटका दिया है। जोन की 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त भी की जाएंगी। 25 से 28 जुलाई तक इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

बताया जा रहा है, राजनांदगांव-कलमना रेल खंड के बीच खात रेलवे स्टेशन को जोडऩे का काम किया जाना है, जिसके लिए ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलोकिंग का वर्क किया जाएगा। लिहाजा काम को गति देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें एक्सप्रेस, पैसेंजर और मेमू ट्रेनें शामिल हैं।

- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को दुर्ग से छूटने वाली 08741 दुर्ग-गोंदिया स्पेशल रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 08742 गोंदिया-दुर्ग स्पेशल रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 08743 गोंदिया-इतवारी मेमू रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 08744 इतवारी-गोंदिया मेमू रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को रायपुर से छूटने वाली 08267 रायपुर-इतवारी स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 26 एवं 27 जुलाई, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 08268 इतवारी-रायपुर स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को कोरबा से छूटने वाली 18239 कोरबा-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को कोरबा से छूटने वाली 18240 इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली 12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26 एवं 27 जुलाई, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 12856 इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 25 जुलाई, 2022 को रीवा से छूटने वाली 11754 रीवा-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26 जुलाई, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 11754 इतवारी-रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 24, 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को टाटानगर से छूटने वाली 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26, 27 एवं 28 जुलाई, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 25 जुलाई, 2022 को सिकंदराबाद से छूटने वाली 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26 जुलाई, 2022 को रायपुर से छूटने वाली 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 24 जुलाई 2022 को तिरुनेलवेली से छूटने वाली गाड़ी संख्या 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26 जुलाई 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली गाड़ी संख्या 22619 बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 25 जुलाई, 2022 को पूरी से छूटने वाली गाड़ी संख्या 20823 पुरी-अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 26 जुलाई,2022 को अजमेर से छूटने वाली गाड़ी 20824 अजमेर-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480